

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1994

सांकांनि० 329—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग, डाक अधीक्षक, पोस्ट मास्टर समूह "ख" भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग, डाक सेवा समूह "ख" भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक विभाग, डाक सेवा समूह 'ख' भर्ती नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) की उद्देशिका में, "डाक अधीक्षक, पोस्टमास्टर समूह 'ख'" शब्दों और अक्षर के स्थान पर, "डाक सेवा समूह 'ख'" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 1 में, खण्ड 1 में "डाक अधीक्षक, पोस्टमास्टर समूह 'ख'" शब्द और अक्षर के स्थान पर,

"डाक सेवा समूह 'ख'" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों की अनुसूची में, स्तम्भ 12 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

प्रोन्नति द्वारा :

कुल पदों के 75 प्रतिशत पद डाक कार्यालयों के ऐसे निरीक्षकों और रेल मेल सेवा निरीक्षकों (1400—2300 रु० के वेतनमान) में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

परीक्षा द्वारा प्रोन्नति :

(i) कुल पदों के 19 प्रतिशत पद डाक कार्यालयों के ऐसे निरीक्षकों और रेल मेल सेवा निरीक्षकों (1400—2300 रु० के वेतनमान) में से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(ii) कुल पदों के छह प्रतिशत पद, डाक कार्यालयों, प्रभागीय कार्यालयों में कार्य कर रहे ऐसे लिपिकीय पंक्ति के पदधारियों में से उसी विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे, जिन्होंने निम्नतर चयन श्रेणी (1400—2300 रु०) और उससे ऊपर की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

[सं० 9-36/92-एस पी जी]

तपती नियोगी, निदेशक (संचार विभाग)

पाद टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II-खंड 3(i) में अधिसूचना सं० सांकांनि० 280 दिनांक 9 अप्रैल, 1988 में प्रकाशित।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

New Delhi, the 29th June, 1994

G.S.R. 329.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Posts, Postal Superintendent/Postmasters Group 'B' Recruitment Rules, 1987 namely :—

1. (i) These Rules may be called the Department of Posts, Postal Service Group 'B' Recruitment (Amendment) Rules, 1993.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Posts, Postal Service Group 'B' Recruitment Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said Rules), in the preamble, for the words and letter "Postal Superintendent/Postmasters Group 'B'" the words and letter postal Service Group 'B' shall be substituted.

3. In rule 1 of the said rules, in clause 1 for the words and letter "Postal Superintendent/Postmasters Group 'B'", the words and letter "Postal Superintendent/Postmasters Group 'B'" shall be substituted.

4. In the schedule of the said rules in column 12 for the existing entries the following entries shall be substituted namely:—

By Promotion

75% of the total posts shall be filled by promotion from amongst Inspectors of Post Offices and Inspectors of Railway Mail Service (Pay scale Rs. 1400-2300) with 8 years' regular service in the grade

Promotion by examination

(i) 19% of the total posts shall be filled on the basis of a departmental competitive examination from amongst Inspectors of Post Offices and Inspectors of Railway Mail Service (Pay Scale Rs. 1400-2300) with five years' regular service in the grade.

(ii) 6% of the total posts shall be filled on the basis of the same departmental examination from amongst clerical line officials working in Post Offices/Divisional Offices with 5 years' regular service in the Lower Selection Grade and above.

[No. 9-36/93-SPG]

TAPATI NEOGI, Director (Staff)

Foot Note : The Principal rules were published vide notification number GSR-280 dated 9th April 1988 in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i).